न्यायालय न्याय निर्णयन् अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री नरेश बुनकर,
आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 11 / 2016

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीः–
सरकार जरिये श्री विजयकांत गौतम,खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन जोधपुर।		श्री गोपालदास पुत्र बाबुदास (विक्रेता व मालिक) फर्म–भगवान निष्ठान् भंडार के गोदाम, गौशाला रोड,भीनमाल (जिला जालोर) निवासी गौशाला रोड, भीनमाल,जिला जालोर

अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) एवं धारा 51

उपस्थिति :–
1.श्री गजेन्द्रसिंह,खाद्य सुरक्षा अधिकारी,प्रार्थी की ओर से।
2.अप्रार्थी अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 20.11.2017

1. प्रार्थी कार्यालय संयुक्त निदेशक,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन जोधपुर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पन्न कर रहे है और प्रार्थी को खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. सरकार द्वारा जरिये राजस्थान राजपत्र अधिसूचना दिनांक 25.7.2011 में कम सं.33 पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। आदेश दिनांक 10अगस्त 2011(कमांक–एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 75) के द्वारा कम सं.33 पर प्रार्थी का कार्यक्षेत्र जोन जोधपुर आवंटित किया है। अधिसूचना दिनांक 18.8.2011 द्वारा संयुक्त निदेशक (जोन)कार्यालय में अधीन सबंधित जोन के अन्तर्गत आने वाले जिलो के समस्त कार्य क्षेत्र स्वीकृति प्रदान की गई है। कमांक शासन उप सचिव,कार्मिक विभाग, राजस्थान जयपुर जारी अधिसूचना कमांक / प.1(2)कार्मिक / क–4 / 08 दिनांक 5.4.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटो को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अधिनस्थ कार्यक्षैत्र के लिए न्याय निर्णयन् अधिकारी नियुक्त किया गया है।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक,चिकित्सा एवं स्वा. –सेवाऐं,जोन जोधपुर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी मय श्री जितेन्द्रकुमार क.लि. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर के साथ दिनांक 6.11.2015 को 4.00पी.एम. पर गश्त चैकिंग के दौरान् मैसर्स भगवान मिष्ठान भंडार के गौदाम, गौशाला रोड भीनमाल पर पहुचने पर प्रार्थी ने विक्रेता को अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया, विक्रेता की हैसियत से श्री गोपालदास पुत्र बाबुदास जाति वैष्णव निवासी गौशाला रोड भीनमाल उपस्थित मिले एवं आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ बर्फी एवं अन्य मावे की मिठाईयां का निर्माण कर बैचने हेतु कब्जे में रखे हुए पाया गया। विक्रेता से वर्ष 2015 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा गया तो खाद्य अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर में पेश किया हुआ होना बताया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि एल्युमिनियम की परात में लगभग 8 किलोग्राम दूध चीनी से निर्मित प्रोपराइटी मिठाई बर्फी रखी हुई थी। मिलावट शक होने पर रूबरू गवाह श्री जितेन्द्रकुमार एवं मौके पर उपस्थित श्री दिनेश पुरोहित के समक्ष विक्रेता को इसकी सूचना जरिये प्रपत्र 5ए भरकर दिया, प्रपत्र 5–ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5–ए देने से पहले विक्रेता व गवाहान् को यह बता दिया कि वह नमूना वास्ते जांच एफ एस एक्ट के तहत् कराने हेतु खरीद कर रहा है। प्रपत्र 5–ए पर प्रार्थी, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर है। रूबरू गवाहान् के सामने विक्रेता को उनके द्वारा बताये गये बाजार भाव से रूपये 420/– नगद देकर बर्फी प्रोपराइटी मिठाई साफ सूखी खाली स्ओील की थाली में खरीदा एवं रूपयो की खरीद रसीद जिस पर 420/' रूपये प्राप्त की ,जिस पर प्रार्थी,विक्रेता गवाहान् के हस्ताक्षर है। विक्रेता व गवाहान् के सामने उक्त खरीदसुदा बर्फी प्रोपराइटी मिठाई को पुनःएक रूप कर चार साफ व सूखी खाली कांच की चौडे मुंह की शिशियों में बराबर मात्रा में भरकर प्रत्येक शिशी मे 40 बूंद फार्मोलिन की डालकर एयर टाईट बंद कर चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.व सीरियल नम्बर ओ 574,खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। प्रार्थी, गवाहान व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। प्रत्येक शिशी पर लेबल चिपकाये एवं चारो नमूनो को अलग–अलग भूरे कागज में लपेटा एवं कागज के दोनो किनारों को गोंद से चिपकाया, चारो पर पेपर स्लिप ओ–574 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर की नियमानुसार प्रत्येक नमूने पर सिर से होते हुए नीचे पेंदे गोलाई में गोंद से चिपकाई,चारो नमूनों को अलग अलग मोटे मजबूत धागे से बांधकर

नियमानुसार सील चपडी किया एवं चारो नमूनों पर प्रार्थी ने अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये,गवाहान् के हस्ताक्षर करवाये तथा चारो नमूनों को सीलबन्द अवस्था में प्रार्थी ने अपने कब्जे में किया,मौका फर्द मौके पर तैयार कर पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में प्रार्थी, गवाहान् व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये, जिस सील से नमूना ओ–574 सील चपडी किया ,उसका मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त कार्यवाही प्रार्थी स्वयं ने गवाहान् व विक्रेता के सामने की गई। कार्यालय पहूंचकर प्रार्थी ने फार्म नं.6 की प्रतिया तैयार की जिन पर खाद्य विश्लेषक का पता अंकित किया गया एवं जिस सिल से नमूना सिल्ड किया गया उसका सिल इन्प्रेशन अंकित किया गया। फार्म नं.6 की एक प्रति ओ–574 नमूना भाग के साथ रखकर नमूनों को पुनः आउटर कंवर में लपेट कर मोटे धागे से बांध कर नियमानुसार सिल चपडी से सिल्ड किया गया। फार्म नं.6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया,उक्त सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा श्री किशोरीलाल च.श्रे.कर्मचारी जोन जोधपुर के साथ दिनांक 9.11 2015 को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। ओ–574 नमूने के द्वितीय ,तृतीय व चतुर्थ भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी जालोर को प्रार्थी द्वारा दिनांक 9.11.2015 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर के पत्र कमांक 4946 दिनांक 10.12.2015 के साथ संलग्न जांच रिपोर्ट एल. एस./950/एक्ट/2015/926 दिनांक 20.11.2015 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ बर्फी प्रोपराईटी मिठाई का नमूना **सब स्टेण्डर्ड** होना पाया गया। प्रार्थी द्वारा इस प्रकरण से सबंधित असल मूल कागजात् एवं अधिसूचना की प्रतिया वास्ते अभियोजन स्वीकृति हेतु जिला अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर को प्रस्तुत किये।अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर ने पत्र कमांक/एफएसएसए/2016/स्वीकृति ओ–574/4303 दिनांक 31.8.2015के द्वारा प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्याय निर्णयन् अधिकारी जालोर के समक्ष पेश करने हेतु लिखित में आदेश दिये,जिस पर प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि श्री गोपालदास पुत्र बाबूदास(विक्रेता व मालिक) फर्म भगवान मिष्ठान भण्डार के गोदाम ,गौशाला रोड भीनमाल ने एफएसएसए की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन किया जो कि धारा 51 के तहत् जुर्माने

अपराध योग्य है। अतः बाद तहकीकात् अभियुक्त पर जुर्माना करावे ताकि सब स्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ के विक्रय को रोका जा सके।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ राज.गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षैत्र नोटिफिकेशन की प्रति, नमूना खरीद बिल असल, फार्म नं.5ए असल, मौका फर्द रिपोर्ट असल, फार्म नं.6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुश्त पर), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर के कार्यालय का पत्र क्रमांक एफ एसएसए/2015/4946 दिनांक 10.12.2015 मय खाद्य विश्लेषक जोधपुर की जांच रिपोर्ट नं. एल एस /950/ एक्ट/2015/926 दिनांक 20.11.2015 एवं डाक से खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट अप्रार्थी विक्रेता को भेजने की रजिस्ट्री की रसीद,खाद्य सुरक्षा अधिकारी जालोर को मूल पत्रावली न्यायालय में पेश करने अधिकृत पत्र सं. एफएसएसए/स्वीकृति/ 2016/ओ–574/4303दिनांक 3.8.2016 आदि प्रस्तुत किये है।

4. खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दिनांक 6.9. 2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को विधिवत् नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 6.10.2016को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

5. अप्रार्थी दिनांक 6.10.16 व 21.10.16 को उपस्थित आये व उसके पश्चात् की तारीखों में अनुपस्थित रहे है।प्रार्थी सरकार की ओर से श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन जोधपुर ने दिनांक 6.9.17 का प्रार्थनापत्र पेश कर उनकी ओर से श्री गजेन्द्रकुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर को पैरवी हेतु नियुक्त किया गया है, जिस पर साक्ष्य सरकार सं.1 श्री विजयकांत गौतम,खाद्य सुरक्षा अधिकारी,की ओर से श्री गजेन्द्रकुमार ,खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर के बयान लिये गये। साक्ष्य सरकार सं.2–दिनेशकुमार के पिता का नाम,जाति,निवास,पदनाम,कार्यालय नाम आदि का विवरण अंकित होने से उसे बुलाना संभव नही हो पा रहा है, शेष साक्ष्य सरकार को प्रार्थी तर्क करते है।

6 प्रार्थी की बहस सुनी गई व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों ,प्रार्थी की ओर से श्री गजेन्द्रकुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के बयान तथा संलग्न दस्तावेजात्,खाद्य विश्लेषक जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल एस/9501/एक्ट/2015/926 दिनांक 20.11.2015 से स्पष्ट हैं कि श्री गोपालदास पुत्र बाबूदास(विक्रेता व मालिक) फर्म भगवान मिष्ठान भण्डार के गोदाम ,गौशाला रोड, भीनमाल,

निवासी–गौशाला रोड भीनमाल ने **Sub-standard** बर्फी प्रोपराईटी मिठाई का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।)का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011की धारा 51 में निर्धारित है। उपरोक्त प्रावधान को मध्येनजर रखते हुए अप्रार्थी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।)के उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के कारण उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत् प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए उस पर 60,000/– अक्षरे साठ हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है। साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि श्री गोपालदास पुत्र बाबूदास(विक्रेता व मालिक) फर्म भगवान मिष्ठान भण्डार के गोदाम ,गौशाला रोड भीनमाल से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट हैड–''0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि '' में नियमानुसार जमा करवाकर चालान की प्रति पेश करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 20.11.2017 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)
जालोर

कमांक 1537–1540 दिनांक 20.11.2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1.खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर।

2.अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर

3.श्री गजेन्द्रकुमार,खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर।

4.श्री गोपालदास पुत्र बाबुदास(विक्रेता व मालिक) फर्म–भगवान मिष्ठान भंडार के गोदाम, गौशाला रोड भीनमाल,जिला जालोर निवासी–गौशाला रोड भीनमाल

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)
जालोर